प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में.

तहसीलदार मछलीशहर जौनपुर।

पत्रांक एन0ओ0सी / /2018—19 दिनाक विषय— सी0बी0एस0ई० / आई0सी0एस0ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक प्रकरण मे भूमि सत्यापन के सम्बन्ध मे।

महोदय.

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूच्य है कि सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक प्रकरण में मा० आयुक्त वाराणसी मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जनपदों के जिलाधिकारी महोदय एवं जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों की उपस्थिति में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अनापत्ति दिये जाने के पूर्व सम्बन्धित

विद्यालय के भूमि का सत्यापन सम्बन्धित तहसीलदार से करा लिया जाय।

उपरोक्त निर्णय के सम्बन्ध में विद्यालय कि न्यू आइडिल कान्वेंट स्कूल इटेहरा मुगराबादशाहपुर जौनपुर द्वारा भूमि से सम्बन्धित जो अभिलेख इस कार्यालय को प्राप्त कराये गये है, उसकी छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आप सम्बन्धित विद्यालय का सत्यापन इस आशय से करे कि (विद्यालय/सोसाइटी/ट्रस्ट) के नाम सी० बी० एस० ई० विद्यालय को न्यूनतम 6075 वर्गमीटर शहर/देहात तथा आई० सी० एस० ई० विद्यालयों को न्यूनतम 2000 वर्गमीटर भूमि 30 वर्ष के लिए रिजस्टर्ड लीजडीड अथवा स्वामित्व के रूप में उपलब्ध हो एवं विद्यालय भवन भी उसी भूमि पर निर्मित हो तथा इस आशय का भी उल्लेख किया जाय कि सम्पूर्ण भूमि एवं भवन एक ही परिसर में उपलब्ध है।

सम्बन्धित प्रकरण अति महत्वपूर्ण एवं आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निर्देशित एवं समयबद्ध है। अतः अनुरोध है कि सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सम्बन्धित विद्यालय भूमि/भवन के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या अपने कार्यालय पत्र के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अपनी आख्या में सम्पूर्ण भूमि वर्गमीटर में उल्लेख करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय कुमार द्विवेदी) संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ०सं० / एन०ओ०सी / /393 - १८ /२०१८ - १७ तद्दिनांक। प्रतिलिपि: - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वै०स० आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी।

2. जिलाधिकारी, जौनपुर।

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य न्यू आइडिल कान्वेंट स्कूल इटेहरा मुगराबादषाहपुर जीनपुर।

(अजय कुमार द्विवेदी) संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी प्रेषक.

संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में.

अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग जौनपुर।

पत्रांक / एन०ओं०सी० / /2018—19 दिनांक / ऽ/ऽ/०० / ४ विषय:—नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उ०प्र०शासन शिक्षा-6 अनुभाग के पत्र दिनांक 20 जुलाई 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न) जो सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई०/प्राथमिक/ माध्यमिक / उच्च शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अग्निशमन यंत्र स्थापित करने एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन की अपयुक्तता के निर्देश दिये गये है।

शासनादेश के बिन्दु-6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप विद्यालय भवन की उपयुक्तता के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर०ई०एस० के न्यूनतम जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण

निम्नवत है-

शिक्षण संस्था का स्तर		ग्राउन्ड फ्लोर पर निर्मित	एक से अधिक मंजिल
	निरीक्षणकर्ता अभियन्ता	विद्यालय	के विद्यालय
प्राइमरी		अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
माध्यमिक		अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
उच्च शिक्षा		सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता

उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि न्यू आइडिल कान्वेंट स्कूल इटेहरा मुगराबादशाहपुर जौनपुर के भवन की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी यथा भूतल हेतू अवर अभियन्ता द्वारा एवं एक से अधिक मंजिल हेतु सहायक अभियन्ता द्वारा चेक बिन्दुओ पर परीक्षण कराकर संदर्भगत प्रकरण में इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय कि "उक्त भवन नेशनल बिलिंडग कोड मानक 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपयुक्त पाया गया है।" के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यह आदेश जनहित याचिका संख्या 483/04 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.4.09 के अनुपालन में निर्गत है। भवदीय

> (अजय कुमार द्विवेदी) संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ०सं० / एन०ओ०सी० / 1397 / 450 / 2018-19 तद्दिनांक प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी के संज्ञानार्थ।

2. जिलाधिकारी जौनपुर।

3. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य यू आइडिल कान्वेंट स्कूल इटेहरा मुगराबादशाहपुर जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

> (अजय कुनार द्विवेदी) संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी